

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: निरी/दौरे/आईजी/डीआईजी/182/पार्ट-6/ 5670-771

दिनांक: 2-5-19

-: परिपत्र :-

विषय:- अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले दौरे एवं रात्रि विश्राम।

इस कार्यालय के पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक निरी/दौरे/आईजी/डीआईजी/182/पार्ट-5/7610-7710 दिनांक 09.05.2018 के अधिकरण में विभिन्न स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु क्षेत्राधिकार में दौरे एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु निम्नानुसार मासिक एवं वार्षिक मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	दौरे		रात्रि विश्राम	
		प्रतिमाह	वार्षिक	प्रतिमाह	वार्षिक
1.	महानिरीक्षक कारागार	1	12	1	12
2.	समस्त उप महानिरीक्षक कारागार रेंज	4	48	2	24
3.	समस्त, मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह	2	24	-	-
4.	समस्त, अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह	1	12	-	-

(एन.आर.के. रेड्डी)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. नोडल अधिकारी (राजस्थान संपर्क पोर्टल), महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग के अधिकारियों से निर्धारित नोर्स अनुसार क्रियान्विति प्रतिमाह राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करावे।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
7. अधीक्षक, महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर/जोधपुर।
8. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
9. अति. निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
10. प्रभारी, किशोर बंदी सुधारगृह, जैतारण।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर लैब, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को वास्ते विभागीय वेब साइट/राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान जयपुर